न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 44 / 2017 एल.आर.एक्ट

1. गुरदेवसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति रायसिख निवासी 43 पीएस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. रुपसिंह पुत्र स्व. तारासिंह पुत्र स्व.किशनासिंह जाति रायसिख निवासी 44पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
3. जसवन्तसिंह पुत्र स्व.तारासिंह पुत्र स्व.किशनासिंह जाति रायसिख निवासी 44पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
4. स्वर्णसिंह पुत्र स्व.किशनसिंह जाति रायसिख निवासी 44पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
5. कोडाबाई पुत्री स्व. किशनसिंह पत्नी निहालसिंह जाति रायसिख निवासी हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. कालासिंह पुत्र समित्रा पत्नी बलवीरसिंह पुत्री स्व.किशनसिंह जाति रायसिख निवासी 44पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
7. गुरमीत पुत्र समित्रा पत्नी बलवीरसिंह पुत्री स्व.किशनसिंह जाति रायसिख निवासी 44पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
8. सीमाबाई पुत्री समित्रा पत्नी बलवीरसिंह पुत्री स्व.किशनसिंह जाति रायसिख निवासी 44पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
9. जोगेन्द्रकौर पुत्री स्व.किशनसिंह पत्नी मनजीतसिंह जाति रायसिख निवासी 15एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
10. गुरमीतकौर पुत्री स्व.किशनसिंह पत्नी बलकारसिंह जाति रायसिख निवासी हरीपुरा बारानी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
11. राणोबाई पुत्री स्व.किशनासिंह पत्नी जसवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी 4एफडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

....

बनाम

1. ग्राम पंचायत 43 पी.एस जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 43पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलवीरसिंह पुत्र स्व.वीरा पत्नी जगतारसिंह जाति रायसिख निवासी 33एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
3. गुरचरणसिंह पुत्र वीरा पत्नी जगतारसिंह जाति रायसिख निवासी 33एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

..........**रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः 1– श्री नायबसिंह – अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री सूरज स्वामी – अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02–3

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 13.2.2019

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिला कलेक्टर, रायसिहनगर द्वारा प्रथम अपील सं0 11/2012 में पारित किये गये आदेश दिनांक 3.5.2017, जिसके द्वारा प्रार्थी रेस्पोन्डेंट्स का प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्स चलने योग्य नहीं मानते हुए इसी स्तर पर खारिज कर दी गयी ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि चक 44पीएस तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा सं0 20 व 22 में स्थिति कुल रकबा 6.43 हैक्टेयर में से 1.076 हैक्टेयर भूमि वीरांबाई पुत्री मेलसिह के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । वीरांबाई ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपने जीवनकाल में अपने हकीकी भाई किशनसिंह पुत्र मेलसिंह के पक्ष में दिनांक 4.4.1970 को वसीयत निष्पादित की गयी। वीरांबाई की मृत्यु के पश्चात किशनसिंह द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण नहीं करवाया गया। तत्पश्चात मृतक वीरांबाई के वारिसान (पुत्रगण) रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के पक्ष में सरपंच, ग्राम पंचायत 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 123 दिनांक 24.8.2004 को स्वीकृत किया गया । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण सं0 123 दिनांक 24.8.04 के विरुध्द अपीलान्ट्स गुरदेवसिंह वगैरह द्वारा उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 11/2012 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेंट सं03 के प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 3.5.2017 द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज कर दी गयी । उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2017 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।
3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया । प्रकरण में उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट एवं अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02–3 की बहस सुनी गयी ।
4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि चक 44 पीएस. तहसील रायसिंहनगर के मु0नं0 20 व 22 में कुल 6.453 हैक्टेयर भूमि में से 1.076 हैक्टेयर भूमि वीरांबाई पुत्री मेलसिंह (सहखातेदार) के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज था । वीरांबाई ने उक्त भूमि की वसीयत अपने भाई किशनसिंह पुत्र मेलसिंह के पक्ष में दिनांक 4.4.70 को गवाहों के रुबरु कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दी थी । यह कि वीरांबाई की वर्ष 1977 में मृत्यु के बाद किशनसिंह उक्त भूमि पर मालिक व काबिज था, किन्तु अपने नाम से वसीयति इन्तकाल दर्ज नहीं करवाया । किशनसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण उक्त भूमि के मालिक व काबिज हैं, किन्तु उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में वीरांबाई के पुत्रगण रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के द्वारा अपने नाम से विरास्तन इन्तकाल सं0 123 दिनांक 24.8.04 सरपंच, ग्राम पंचायत 43पीएस से स्वीकृत करवा लिया, जिसकी अपीलार्थीगण को जानकारी होने पर उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 11/2012 प्रस्तुत की गयी, जो अपील की मैरिट न देखकर गलत आधार पर खारिज की गयी है ।
5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि सरपंच, ग्राम पंचायत 43पीएस द्वारा विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गयी तथा नां ही किशनसिंह को नोटिस जारी किया गया जबकि उक्त रकबा पर वीरांबाई की मृत्यु के पश्चात किशनसिंह को हर प्रकार के हक हकूक व खातेदारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकार हासिल हो चुके हैं तथा विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल सं0 130 को वीरांबाई के हिस्से तक का अपास्त कर अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेंट के एक प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 व 151 सीपीसी के तहत पेश कर अपीलार्थीगण से असल वसीयतनामा पेश कराने की मांग की गयी, जिसका जवाब अपीलार्थीगण ने दिया कि उन्हें वसीयत की फोटो प्रति प्राप्त हुई है, असल वसीयत उनके पास नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालाय ने रेस्पोन्डेंट का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी गयी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को केवल प्रार्थना पत्र का निर्णय करना था। यह कि वसीयत को निरस्त करवाने हेतु रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के द्वारा सिविल वाद भी पेश किया हुआ है, जो जेरकार है। रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद से यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा वसीयत को मान्यता दी गयी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण सं0 123 एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के सम्बन्ध में आरआरडी. सितम्बर,2006 पेज 574 अवलोकनीय बताया ।

6. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 2–3 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि कस्टोडियन की है, जो वसीयत दिनांक 4.4.70 को गैरखातेदारी थी । अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत की मात्र फोटो प्रति पेश की गयी है, उक्त वसीयत वीरांबाई द्वारा किशनसिंह हकीकी भाई के पक्ष में लिखी गयी है जो सिम्पल पेपर पर है तथा कूट रचित है। वीरांबाई की मृत्यु वर्ष 1977 में हुई है, जबकि किशनसिंह का देहावसान वीरांबाई से पहले ही हो चुका था । अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं किया जाने पर रेस्पोन्डेंट का प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रथम अपील खारिज की गयी है, जो उचित है । अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार चक 44 पीएस. तहसील रायसिंहनगर के मु0नं0 20 व 22 में कुल 6.453 हैक्टेयर भूमि में से 1.076 हैक्टेयर भूमि वीरांबाई पुत्री मेलसिंह (सहखातेदार) के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज था । वीरांबाई ने उक्त भूमि की वसीयत अपने भाई किशनसिंह पुत्र मेलसिंह के पक्ष में दिनांक 4.4.70 को गवाहों के रुबरु कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दी थी । किन्तु वीरांबाई की मृत्यु के पश्चात किशनसिंह द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करवाया गया । तत्पश्चात मृतक वीरांबाई के वारिसान (पुत्रगण) रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के पक्ष में सरपंच, ग्राम पंचायत 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 123 दिनांक 24.8.2004 को स्वीकृत किया गया । उक्त विरास्तन नामान्तरकरण सं0 123 दिनांक 24.8.04 के विरुध्द किशनसिंह के वारिसान अपीलान्ट्स गुरदेवसिंह वगैरह द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 12.7.2012 को प्रथम अपील सं0 11/2012 प्रस्तुत की गयी । जिसमें रेस्पोन्डेंट सं0 2–3 द्वारा आदेश 11 नियम 14 व 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड न्यायालय ने रेस्पोन्डेंट का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी गयी, जिसके विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

8. अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा अपील में मुख्य आधार यह लिया है कि वादगत रकबा चक 44 पीएस का 1.076 हैक्टेयर पर वीरांबाई की मृत्यु के पश्चात वसीयतगृहिता किशनसिंह को हर प्रकार के हक हकूक व खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं तथा किशनसिंह के देहावसान पश्चात विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल सं0 130 को वीरांबाई के हिस्से तक का अपास्त कर अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में मैरिट पर निणर्य नहीं कर रेस्पोन्डेंट सं03 के प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 व 151 सीपीसी पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की गयी है, जो नियमानुसार नहीं है । वसीयत को निरस्त करवाने हेतु रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के द्वारा सिविल वाद भी पेश किया है, जो जेरकार है

9. हमने रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रकरण में विवादित भूमि चक 44 पीएस. तहसील रायसिंहनगर के मु0नं0 20 व 22 में कुल 6.453 हैक्टेयर भूमि में से 1.076 हैक्टेयर भूमि वीरांबाई पुत्री मेलसिंह (सहखातेदार) के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वीरांबाई ने उक्त भूमि की वसीयत अपने हकीकी भाई किशनसिंह पुत्र मेलसिंह के पक्ष में दिनांक 4.4.70 को गवाहों के रुबरु कर निष्पादित करवाई जाकर नोटरी से प्रमाणित करवाई गयी है। प्रकरण में वीरांबाई का देहान्त हो जाने के पश्चात वसीयत गृहिता किशनसिंह द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया गया है । तत्पश्चत वीरांबाई के वारिसान (पुत्रगण) रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के पक्ष में सरपंच, ग्राम पंचायत 43 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 123 दिनांक 24.8.2004 को स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट्स का कथन है कि वीरांबाई की मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स का ही कब्जा काश्त है, जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की गयी । प्रकरण में नामान्तरकरण सं0 123 को निरस्त करवाने हेतु अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सं0 11/2012 अनवान गुरदेवसिंह वगैरह बनाम दलवीरसिंह वगैरह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मैरिट पर निर्णय नहीं कर, रेस्पोन्डेंट के प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 व 151 सीपीसी पर अपीलान्ट्स की प्रथम अपील खारिज की गयी है। जबकि प्रकरण में मृतक वीरांबाई द्वारा किशनसिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी वसीयत दिनांक 4.4.70 को शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने हेतु रेस्पोन्डेंट सं0 2 व 3 के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, रायसिंहनगर में सिविल वाद सं0 16/2013 पेश किया हुआ है, जो न्यायालय में विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करने बाबत स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है । उक्त सिविल वाद में विवादित भूमि खातेदारी की रही है अथवा नहीं, का निर्णय भी हो जायेगा। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जो किसी भी पक्षकार के अधिकार तय नहीं करता है । इस प्रकरण में सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न होनी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मैरिट पर निर्णय पारित नहीं कर मात्र प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 व 151 सीपीसी पर अपीलान्ट्स की प्रथम अपील सं0 11/2012 निर्णय दिनांक 3.5.17 द्वारा वसीयत के आधार को लेकर खारिज की गयी है, जिसे हम उचित नहीं मानते हैं क्योंकि वसीयत के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य सिविल वाद 16/2013 न्यायालय में विचाराधीन है। अतः यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश दिनाक 3.5.2017 निरस्त किया जाता है एवम् प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि मामले में सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार इन्तकाल के सम्बन्ध पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे । तब तक सिविल न्यायालय के आदेशानुसार विवादित भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करने के आदेश की पालना की जावे ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.2.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर